न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 24 GCMS : 2024/00045
पूर्व प्रकरण संख्या : 47 / 18

1. श्रीमती घेर कंवर पत्नी रामसिंह सोंलकी, निवासी 43 ए–बी श्रीराम नगर सेक्टर ज. 11 हिरण मगरी उदयपुर
2. श्रीमती बदाम बाई पत्नी श्री श्रवणनाथ चौहान, निवासी आवरी माता कच्ची बस्ती उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर
2. दिनेश जैन पिता एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी जे.बी. नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुवर पोरवाल आयु वयस्क निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर
4. जयन्त पिता श्री एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी मनोज दर्शन कान्ती नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित : नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता वादीगण
तरूण श्रीमाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 12.08.2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना खेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 110 आराजी संख्या 1287 किता 1 रकबा 0.2250 हेक्टयर खाता संख्या 115 आराजी संख्या 1297 किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टयर खाता संख्या 154 आराजी संख्या 1298 किता 1 रकबा 0.0900 हेक्टयर खाता संख्या 114 आराजी संख्या 1300 किता 1 रकबा 0.0750 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4500 हेक्टयर भूमि स्थित होकर वादी संख्या 1 का 0.1000 हैक्टयर वादी संख्या 2 का आराजी संख्या 1298, 1297 के कुल रकबे 0.1500 हेक्टयर में से 0.205.72 हेक्टयर हिस्सा दर्ज होकर अपने– अपने हिस्से पर कब्जे काश्त कर रहे है। वादीगण के अपने हिस्से में आयी भूमि का सह–काश्तकारों ने मिलकर मौखिक बंटवाडा कर लिया है व अपने–अपने हिस्से पर सभी सह– खातेदार मौके पर काबिज है वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से कानूनी बंटवाडा नही हुआ न ही लगान अलग कायम हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी भूमि का विकास करने में असमर्थ हो रही है। वादीया ने अपने अपने परिवार के सदस्यों के मार्फत दिनांक 10.03.2018 को प्रतिवादीगणों को अपने–अपने कब्जे व हिस्से में आई भूमि के अनुसार सहमति से बंटवाडा कराने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिये तैयार नही हुये तब दिनांक 10.03.2018 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया की कब्जेशुदा भूमि 0.1000 एवं वादीया संख्या 2 के हिस्से में आई 0.0205.72 हेक्टयर भूमि जो वादीगण के कब्जे में है का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाडा कराया जाकर लगान अलग से कायम किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादीगण को उपयोग– उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें न ही किसी और से करावें की डिक्री फरमाई जावें ।

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सूचना पत्र से सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के सम्मन जरिये अखबार अन्धेरी पूर्व मुम्बई, में दिनांकः 01.01.2020 को प्रकाशन करा वादीगण द्वारा अखबार प्रति पेश की जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 05.02.2020 को न्यायालय द्वारा जवाब असवर बन्द किये गये।

वादीया की साक्ष्य में वादीया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो सलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद केवल बंटवाडे का होने से एवं वादीगण वादग्रस्त भूमि में सह–खातेदार है सह खातेदार को बंटवाडा कराने के अधिकारी है। न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 12.02.2020 को प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा उभयपक्षकारों की उपस्थिति में प्रांरभिक डिक्री की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाकर पत्रांकः राजस्व ए/2024/222 दिनांक 13.05.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र किया गया जिसका वादीया द्वारा जवाब पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रकरण में आगे की कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रारभिक डिक्री रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर कथन किया गया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई गई है तथा वादग्रस्त आराजीयात सही से नपती नहीं की गई है। रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजीयात के आगे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्शाया नहीं गया है एवम् प्रभा कंवर की आराजीयात में आगे 25 फिट हिस्सा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ है वादी की बाउण्ड्रीवाल होना दर्शित किया है जबकि आगे के 25 फिट हिस्से पर प्रभा कंवर काबिज है, जिससे प्रभा कंवर को प्लानटेषन हेतु उक्त हिस्से को रखना आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त सम्पति एव उसके पीछे की सभी सम्पतियॉ 25 फिट खिसक चूकि है, जिससे वादी, प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में 25 फिट अतिक्रमण की मंशा रखता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी की आपत्तियों का जवाब देते हुए कथन किया गया कि उक्त प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट उभयपक्ष के समक्ष तैयार की गई जिस पर प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मौके पर वादग्रस्त भूमि एवं मुख्य सड़क के मध्य 25 फिट भूमि स्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त 25 फिट भूमि पर प्रभा कंवर का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया गया कि पुनः उभयपक्ष को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति मे प्रारभिक डिक्री की पालना कर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पुनः बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गिर्वा द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में नेशनल हाईवे (भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली) द्वारा 45 मीटर चौड़ाई में रोड़ अवाप्त की गई यानि सेन्टर से 22.5 मीटर दोनो तरफ, आराजी संख्या 1292 में जो भाग सड़क में गया उसे आराजी संख्या 4178/1292 रकबा 0.0600 हैक्टयर से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया जो मौके पर रोड़ के रूप में ही है। मौके पर हाईवे सेन्टर से दोनों तरफ 30 मीटर भूमि रोड़ के उदेश्य से छोड़ रखी है। अतः स्पष्ट है कि रोड़ की उत्तर दिशा में 7.5 मीटर छोड़ी गई भूमि आराजी संख्या 1292 का ही भाग है। उक्त तथ्य से प्रभाकुंवर पत्नि युवराजसिंह सहमत नहीं है। वह इस भूमि को नेशनल हाईवे में ही बता रहा है। आराजी संख्या 1292 व 4178/1292 एवं इसके पडौस के आराजीयात का गुगल ईमेज पर सुपरईम्पोज कर प्रस्तुत है।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें उन्होनें बताया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादी द्वारा दी गई आपत्ति को तहसीलदार ने सुनवाई कर निरस्त करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया।

वादी द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौके पर हाईवे से सेन्टर दोनो तरफ 30 मीटर छोड़ी गई भूमि आराजी नम्बर 1292 का भाग बता दिया जबकि इसके समर्थना में मौके की नपती रिपोर्ट प्रस्तुत नही की क्योंकि मौके पर नपती नहीं की गई है। आराजी संख्या 4178/1292 पर मौके पर रोड़ बनी होना बता रहे है। वादीया की बाउण्ड्रीवाल इस आराजी नम्बर 4178/1292 के समाप्त होने पर ही बनी हुई ऐसा वादीया द्वारा मशीन से नपती करवाई उसके नक्शे में स्पष्ट दर्शा रखा है। अतः पूर्व में प्राप्त बटवाड़ा अनुसार ही फाइनल डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि नेशनल हाईवे द्वारा 45 मीटर चौड़ाई में रोड की अवाप्ति की गई यानि सेंटर से साढे 22 मीटर दोनों तरफ, आराजी संख्या 1292 में जो भाग सड़क में गया है, उसे आराजी संख्या 4178/1292 रकबा 0.0600 हैक्टयर राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया जिस पर मौके पर रोड़ के रूप में ही है। मौके पर हाईवे के सेंटर से दोनो तरफ 30 मीटर भूमि रोड़ के उदे्श्य से छोड़ रखी है जिससे स्पष्ट है कि उत्तर दिशा में साढे 7 मीटर भूमि चौड़ी छोडी गई भूमि आरजी संख्या 1292 का ही भाग है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष की आपत्तियों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वादीया व [illegible] हैं एवम् तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड व [illegible] सार है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व रेकार्ड [illegible] हिस्सेनुसा[illegible] पक्षों का तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश किया गया है, जो सही एवं विधि सम्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puriadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव में वादी व प्रतिवादी के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करने एवम् 2018 से लम्बित प्रकरण जिसमें बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है। अतः बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :–

1. बदामबाई पत्नि श्रवणनाथ जी निवासी ग्राम चरालिया पंचायत भदेसर जिला चितौड़गढ खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1297 में से	0.0110	मगरी	0.01
1298 में से	0.0086	मगरी	–
किता : 2	रकबा : 0.0196		लगान : 0.01

2.. घेरकुंवर पत्नि रामसिंह सोलकी राजपूत निवासी 34 एबी रामनगर हिरण्रा मगरी सेक्टर 14 खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1287 में से	0.0240	मगरी	0.01
1300 में से	0.0375	मगरी	0.02
1298 में से	0.0385	मगरी	0.02
किता : 3	रकबा : 0.1000		लगान : 0.05

3. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबीनगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1298 में से	0.0429	मगरी	0.03
किता : 1	रकबा : 0.0429		लगान : 0.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

4. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबी नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई 696/865, नरेन्द्र पुत्र चन्नीलाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 169/865 :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1297 में से	0.0490	मगरी	0.02
1300 में से	0.0375	मगरी	0.02
किता : 2	रकबा : 0.0865		लगान : 0.04

5. नरेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 323/2010, जसवन्त पुत्र एम.एल. जैन 1125/2010 निवासी मनोज दर्शन कान्तीनगर अन्धेरी , सीतादेवी पत्नि बसन्तकुमार पोरवाल 562/2010 निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1287 में से	0.2010	मगरी	0.12
किता : 1	रकबा : 0.2010		लगान : 0.12

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम नेला पटवार मण्डल देवाली तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 110 आराजी संख्या 1287 किता 1 रकबा 0.2250 हेक्टयर खाता संख्या 115 आराजी संख्या 1297 किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टयर खाता संख्या 154 आराजी संख्या 1298 किता 1 रकबा 0.0900 हेक्टयर खाता संख्या 114 आराजी संख्या 1300 किता 1 रकबा 0. 0750 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4500 हेक्टयर स्थित वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा, फाईनल डिक्री जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

रमेश सिरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 04 / 24 सन 2024 सीगह वाद (1) श्रीमती घेर कंवर पत्नी रामसिंह सोंलकी, निवासी 43 ए–बी श्रीराम नगर सेक्टर ज. 11 हिरण मगरी उदयपुर (2) श्रीमती बदाम बाई पत्नी श्री श्रवणनाथ चौहान, निवासी आवरी माता कच्ची बस्ती उदयपुर बनाम (1) नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर (2) दिनेश जैन पिता एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी जे.बी. नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई (3) श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुवर पोरवाल आयु वयस्क निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर (4) जयन्त पिता श्री एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी मनोज दर्शन कान्ती नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई (5) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर वाद अन्तर्गम धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादीगण अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री तरूण श्रीमाल प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है। अतः बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :–

1. बदामबाई पत्नि श्रवणनाथ जी निवासी ग्राम चरालिया पंचायत भदेसर जिला चितौड़गढ खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1297 में से	0.0110	मगरी	0.01
1298 में से	0.0086	मगरी	–
किता : 2	रकबा : 0.0196		लगान : 0.01

2.. घेरकुंवर पत्नि रामसिंह सोलकी राजपूत निवासी 34 एबी रामनगर हिरण्रा मगरी सेक्टर 14 खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1287 में से	0.0240	मगरी	0.01
1300 में से	0.0375	मगरी	0.02
1298 में से	0.0385	मगरी	0.02
किता : 3	रकबा : 0.1000		लगान : 0.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

3. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबीनगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1298 में से	0.0429	मगरी	0.03
किता : 1	रकबा : 0.0429	लगान : 0.03	

4. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबी नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई 696/865, नरेन्द्र पुत्र चन्नीलाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 169/865 :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1297 में से	0.0490	मगरी	0.02
1300 में से	0.0375	मगरी	0.02
किता : 2	रकबा : 0.0865	लगान : 0.04	

5. नरेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 323/2010, जसवन्त पुत्र एम.एल. जैन 1125/2010 निवासी मनोज दर्शन कान्तीनगर अन्धेरी , सीतादेवी पत्नि बसन्तकुमार पोरवाल 562/2010 निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी खातेदार :–

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1287 में से	0.2010	मगरी	0.12
किता : 1	रकबा : 0.2010	लगान : 0.12	

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम नेला पटवार मण्डल देवाली तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 110 आराजी संख्या 1287 किता 1 रकबा 0.2250 हेक्टयर खाता संख्या 115 आराजी संख्या 1297 किता 1 रकबा 0.0600 हेक्टयर खाता संख्या 154 आराजी संख्या 1298 किता 1 रकबा 0.0900 हेक्टयर खाता संख्या 114 आराजी संख्या 1300 किता 1 रकबा 0.0750 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4500 हेक्टयर स्थित वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा, फाईनल डिक्री जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष दर ब्याज सहित .....द्वारा ....को दी जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:26 IST
Reason: SelfAttested